FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0074 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/03/2026 17:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 16/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:10 बजे **Time To (समय तक):** 20:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/03/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/03/2026 17:48:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PANCHAYAT SAMITI RAIPUR, JILA BEAWAR ME STIT AAROPI SHRI PRADEEP KUMAR, KA SARKARI QUARTER NUMBER 08

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MUKESH MAJUMDAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PRABEER MAJUMDAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SAMBURIYA POST KALADEH, BHIM, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SAMBURIYA POST KALADEH, BHIM, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRADEEP KUMAR		पिता:CHANDRABALI	1. 2/809,KUDI BHAGTASANI HOUSEING BORD,KUDI BHAGTASNI,JODHPUR CITY WEST,RAJASTHAN,INDIA
2	MANISH MEENA		पिता:BANWARI LAL MEENA	1. DEVAN TIRAHA WARD NO. 29,SHAHPURA,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है निवेदन हैं कि दिनांक 13.02.2026 को समय 03.10 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार पुत्र श्री प्रबीर मजुमदार उम्र 25 साल, निवासी ग्राम समबुरीया, पोस्ट कालादेह, पुलिस थाना व तहसील भीम, जिला राजसमन्द ने एसीबी चौकी राजसमन्द पर उपस्थित होकर मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो राजसमन्द के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं प्रार्थी मुकेश मजुमदार पुत्र श्री प्रबीर मजुमदार उम्र 25 साल, निवासी ग्राम समबुरीया, पोस्ट कालादेह, पुलिस थाना व तहसील भीम, जिला राजसमन्द का रहने वाला हुं। मेरे विनायक एन्टरप्राईजेज के नाम से एक फर्म संचालित हैं जिसका प्रोपराईटर मैं स्वयं हुं। मेरी फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में ब्लॉक रायपुर जिला ब्यावर में 05 आंगनवाडी केन्द्रों (हाजियावास, कानपुरा, काया, गिरी-2 व गिरी-3) एवं ब्लॉक बदनोर जिला ब्यावर में 06 आंगनवाडी केन्द्रों (जडू का खेडा, उम्मेदपुरा, मोटरास, अक्षेगढ, आकडसादा व संग्रामगढ) के रिनोवेशन कार्य का ठेका लिया था। जिसका सीडीपीओ ऑफिस रायपुर-बदनोर द्वारा मेरी फर्म विनायक एन्टरप्राईजेज के नाम पर अलग-अलग वर्क ऑर्डर जारी किया था। मेरी फर्म द्वारा बदनोर ब्लॉक में 06 आंगनवाडी केन्द्रों का रिनोवेशन कार्य पूर्ण कर दिया जिसके बिलों की राशि करीब 12 लाख रूपये का भूगतान सीडीपीओ ऑफिस बदनोर द्वारा मेरे खाते में जमा करवा दिया तथा रायपुर ब्लॉक की 05 आंगनवाडी केन्द्रों का रिनोवेशन कार्य में से मेरी फर्म द्वारा 02 आंगनवाडी केन्द्रों (गिरी-2 व गिरी-3) में केवल लाईट-नल फिटिंग का कार्य करवाया था तथा शेष तीन आंगनवाडी केन्द्रों का रिनोवेशन कार्य मेरी फर्म द्वारा पूर्ण कर दिया जिनके बिलों का भूगतान सीडीपीओ ऑफिस रायपुर द्वारा किया जाना बाकि हैं। सीडीपीओ ऑफिस रायपुर-बदनोर जिला ब्यावर का चार्ज श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब के पास हैं तथा श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब ब्लॉक बदनोर के 06 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य बाबत् किये गये भूगतान एवं ब्लॉक रायपुर के 03 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य के पेण्डिग बिलों का भूगतान करने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि 2,30,000 रूपये की मांग कर रहे हैं तथा श्री प्रदीप जी एईन साहब पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर जो कि आंगनवाडी केन्द्रों (हाजियावास, कानपुरा व काया) के रिनोवेशन कार्य की एमबी भरने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि 21 हजार रूपये की अलग से मांग कर रहे हैं। मैं, श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब एवं श्री प्रदीप जी एईन साहब को रिश्वत राशि नहीं दूंगा तो वो मेरे रिनोवेशन कार्यों के पेण्डिग बिलों का भूगतान नहीं करेंगे। मैं, श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब को रिश्वत राशि 2,30,000 रूपये एवं श्री प्रदीप जी एईन साहब को रिश्वत राशि 21 हजार रूपये नहीं देना चाहता हुं बल्कि इन दोनों भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरे एवं श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब व श्री प्रदीप जी एईन साहब के बीच कोई आपसी लेनदेन बाकि नहीं हैं और ना ही कोई आपसी रंजीश हैं। अतः रिपोर्ट करता हुं, कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी श्री मुकेश मजुमदार द्वारा पेश रिपोर्ट पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि बदनोर ब्लॉक की 6 आंगनवाडी केन्द्रों में से 5 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन बिलों का भूगतान सीडीपीओ ऑफिस बदनोर द्वारा किया जा चुका हैं जो राशि मेरे खाते में प्राप्त हो चूकी हैं तथा एक आंगनवाडी केन्द्र मोटरास के रिनोवेश बिलों का भूगतान होना बाकि हैं, इसके अतिरिक्त रायपुर ब्लॉक की 5 आंगनवाडी केन्द्रों में से तीन आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य मेरी फर्म द्वारा पूरा किया जा चूका हैं जिसके बिलों का भूगतान होना बाकि हैं तथा दो आंगनवाडी केन्द्रों (गिरी-2 व गिरी-3) में मेरी फर्म द्वारा केवल लाईट-नल फिटिंग का कार्य करवाया था। श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब बदनोर ब्लॉक में आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य हेतु भूगतान किये गये बिलों की एवज में 1,30,000 रूपये एवं रायपुर ब्लॉक की 3 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य के पेण्डिग बिल पास करने की एवज में 1,00,000 रूपये सहित कुल 2,30,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा हैं और

रिश्वत राशि अजमेर आकर देने के लिए कहा हैं। इसके अलावा श्री प्रदीप जी एईन साहब पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर जो कि आंगनवाडी केन्द्रों (हाजियावास, कानपुरा व काया) के रिनोवेशन कार्य की एमबी भरने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि 21 हजार रूपये की अलग से मांग कर रहे हैं, मैं उनको रिश्वत राशि नहीं दूंगा तो वो रिनोवेशन कार्य की एमबी नहीं भरेंगे जिससे मेरी फर्म के रायपुर ब्लॉक के तीन आंगनवाडी केन्द्रों के बिल पास नहीं हो पायेंगे। श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब एवं श्री प्रदीप जी एईन साहब भ्रष्ट लोकसेवक हैं जो बिना पैसे लिये किसी का भी काम नहीं करते हैं। मैं, मनीष मीणा को रिश्वत राशि नहीं दूंगा तो वो मेरे पेण्डिग बिल पास नहीं करेगा और भूगतान भी रोक देगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र एवं दरियाफ्त परिवादी से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन बाबत अवगत कराया गया तो परिवादी ने कहा कि श्री मनीष मीणा अजमेर में आनासागर झील के आस-पास रहते हैं, जिन्होंने मुझे अजमेर बुलाया हैं। लेकिन अभी काफी समय हो गया हैं और अजमेर पहुंचेगे तब तक रात हो जायेगी और वो नहीं मिल पायेंगे और आगे की वार्ता नहीं हो पायेगी। श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब बहुत शातिर और चालाक व्यक्ति हैं जो रिश्वत राशि की मांग करने के तुरन्त बाद मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। इसलिए आपकी टीम को साथ में ले जाना ही उचित रहेगा। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को श्री प्रदीप एईन पंचायत समिति रायपुर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि करीब एक सप्ताह पहले मैं एईन साहब श्री प्रदीप जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि एमबी भरवानी हैं तो खर्चे-पानी के 21 हजार रूपयों की व्यवस्था करके मुझे दे देना, मैं एमबी भर दूंगा। श्री प्रदीप जी एईन साहब से फोन पर बात करके मैं उनसे मिलने के लिए अलग से समय ले लूंगा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश की जाकर परिवादी को उसके पास संदिग्ध श्री मनीष मीणा का कॉल आने पर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने तथा मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी को साझा करवाये जाकर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.02.2026 को समय 12.28 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश मजूमदार ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर बताया कि अभी थोडी देर पहले मेरे पास संदिग्ध श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब का कॉल आया था और मुझे अजमेर बुलाया हैं। आज श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता हो सकती हैं, रिश्वत की मांग करने के तुरन्त बाद ही वो रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे इसलिए आप अपनी टीम के साथ आवे, मैं आपको कस्बा भीम में रोड किनारे स्थित पेट्रोल पम्म के पास मिल जाउंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कस्बा भीम में उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु नगर परिषद राजसमन्द से दो स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत पुत्र श्री भगवान सिंह उदावत, जाति राजपूत, उम्र 28 वर्ष, निवासी 15 मूलचन्द नगर, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर पुलिस थाना कोतवाली ब्यावर, जिला ब्यावर हाल कनिश्ठ अभियन्ता (सिविल) कार्यालय नगर परिषद राजसमन्द एवं श्री सुमित त्रिवेदी पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र, उम्र 37 साल, जाति वाल्मिकी, निवासी रेगर मौहल्ला, कस्बा राजनगर, पुलिस थाना कोतवाली राजनगर, जिला राजसमन्द हाल वरिश्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद राजसमन्द तलब किये जाकर उक्त दोनों गवाहान को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही अग्रिम गोपनीय कार्यवाहीं के सम्बन्ध में समस्त हालात से अवगत कराया। तत्पश्चात समय 02.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी एवं श्रीमती तारा म0 कानि0 नम्बर 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय प्राईवेट वाहन मय चालक श्री रिडमल सिंह कानि0 नम्बर 817 के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 व श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी/प्राईवेट वाहन से अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी राजसमन्द से रवाना हो कस्बा भीम पहुंचा जहां पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी उपस्थित मिला जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी वाहन बोलेरो में बैठाकर हमराह साथ ले पूर्वानुसार अपने-अपने सरकारी-प्राईवेट वाहनों से कस्बा भीम से रवाना हो समय करीब 05.25 पीएम पर कस्बा अजमेर स्थित अजमेर-नसीराबाद रोड पर पहुंचे जहां पर परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध श्री मनीष मीणा अजमेर स्थित आना सागर झील के आस-पास ही रहता हैं जिससे मोबाईल पर बात करने के बाद ही पता चल पायेगा की वह मुझे अग्रिम वार्ता हेतु कहां पर बुलाता हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी वाहन में बैठे हुए ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 व श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 के समक्ष ही परिवादी श्री मुकेश मजुमदार के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री मनीष मीणा के मोबाईल नम्बर पर डीवीआर समय 05.30 पीएम पर व्हाटसअप्प वॉईस कॉल करवा मोबाईल फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री मनीष मीणा ने

परिवादी को वैशाली नगर स्थित मसाला चौक के पास पत्रिका वालों के ऑफिस के पास आने के लिए कहा। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार ही अपने-अपने सरकारी/प्राईवेट वाहनों से रवाना हो समय 05.40 पीएम पर अजमेर में वैशालीनगर स्थित मसाला चौक-राजस्थान पत्रिका के ऑफिस के पास पहुंचे। जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी वाहन बोलेरो के अन्दर बैठे हुए ही परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुनः समझाईश की जाकर संदिग्ध श्री मनीष मीणा से सम्पर्क कर उससे मिलकर अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने तथा वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा वार्ता के पश्चात उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बंद कर पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करने की आवश्यक हिदायत की गई तथा फर्द सिपूर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर समय 05.51 पीएम पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री मनीष मीणा से वार्ता करने हेतु सरकारी वाहन बोलेरो से नीचे उतारकर राजस्थान पत्रिका के ऑफिस के आस-पास ही संदिग्ध के आने का इन्तजार करने हेतु निर्देशित किया जाकर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के वैशालीनगर स्थित राजस्थान पत्रिका के ऑफिस के पास अपने-अपने सरकारी-प्राईवेट वाहनों में पूर्वानुसार ही बैठकर परिवादी के आने का इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात समय करीब 07.20 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार सरकारी वाहन बोलेरा के पास मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 व श्री भंवर दान कानि0 के समक्ष उपस्थित आया जिसने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद अवस्था में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि सरकारी वाहन बोलेरो से नीचे उतरकर मैंने राजस्थान पत्रिका के ऑफिस के आस-पास ही संदिग्ध का इन्तजार किया और अपने मोबाईल फोन से संदिग्ध श्री मनीष मीणा को कॉल किया तो उसने मुझे राजस्थान पत्रिका के बगल में जा रही रोड पर चलने के लिए कहा। जिस पर मैं श्री मनीष मीणा के कहे अनुसार उस रोड पर धीरे-धीरे चलने लगा, इसके बाद मैने अपने मोबाईल फोन से पुनः संदिग्ध श्री मनीष मीणा को कॉल कर राजस्थान पत्रिका ऑफिस के बगल वाली रोड पर सीधा-सीधा आने के लिए कहा तो उन्होंने उस रोड पर सीधा-सीधा चलने के लिए कहा, थोडी देर चलने के बाद मनीष मीणा अपनी ग्रे कलर की आई-20 कार से मेरे पास आया और मुझे अपनी कार में बैठा दिया और आनासागर झील के किनारे-किनारे कार को चलाते हुए मुझसे वार्ता की। उक्त वार्ता में मैने सीडीपीओ ऑफिस बदनोर द्वारा भूगतान किये गये बिलों एवं सीडीपीओ ऑफिस रायपुर के पेण्डिग बिलों के सम्बन्ध में श्री मनीष मीणा से वार्ता की तो श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब ने बदनोर ब्लॉक की 06 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य हेतु भूगतान किये गये बिलों की एवज में 1,00,000 रूपये एवं रायपुर ब्लॉक की 03 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य के पेण्डिग बिल पास करने की एवज में 80,000 रूपये सहित कुल 1,80,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहकर 1,00,000 रूपये लेने के लिए कहा गया तो वो नहीं माने और रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की अपनी मांग पर अडिग रहे और रिश्वत राशि तुरन्त देने के लिए कहा। मैने श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब को मेरे दोस्त द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे दोस्त को फोन करके वहीं पर बुलाने के लिए कहा। मैने मेरे दोस्त को कॉल किया परन्तु मेरे दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब नाराज हो गये और उन्होंने रिश्वत राशि दिलखुश को ऑन लाईन ट्रान्सफर करने हेतु कहा। उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी श्री मुकेश मजुमदार के बताये कथनों की ताईद होकर संदिग्ध श्री मनीष मीणा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की मांग करने की पुष्टि होकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना पाया। उक्त वार्तानुसार संदिग्ध श्री मनीष मीणा द्वारा रिश्वत राशि दिलखुश को ऑन लाईन ट्रान्सफर करने हेतु कहा गया हैं जिसके सम्बन्ध में परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि सीडीपीओ ऑफिस बदनोर में ताराचन्द जी जो कि बाबु के पद पर लगे हुए हैं जो मेरे अच्छे मित्र हैं जिनकी सिफारिश से मेरी कार सीडीपीओ ऑफिस बदनोर में लगी हुई हैं और दिलखुश मेरी कार का ड्राईवर हैं। मैं दिलखुश को पैसे ट्रान्सफर नहीं करना चाहता हुं। मैं सीडीपीओ साहब को ही रिश्वत राशि देना चाहता हुं। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध श्री मनीष मीणा की मांग अनुसार रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मैने मेरे दोस्त को पैसों की व्यवस्था करके अजमेर आने के लिए कहा था लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा हैं, मैं श्री मनीष मीणा की मांग अनुसार अभी तुरन्त रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं कर पाउंगा, मुझे रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की व्यवस्था करने में एक-दो दिन का समय लग जायेगा। मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था करके तुरन्त आपसे सम्पर्क कर लूंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मुकिम स्थल पर ही प्राईवेट वाहन में बैठे हुए दोनों स्वतंत्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास बुलाकर उपस्थित परिवादी श्री मुकेश मजुमदार एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी का आपस में परिचय करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 13.02.2026 को प्रस्तुत स्वयं हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई जिस पर हर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने

परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर हर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर आज दिनांक 14.02.2026 को परिवादी श्री मुकेश मजुमदार एवं संदिग्ध श्री मनीष मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड बदनोर-रायपुर जिला ब्यावर के मध्य हुई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को चलाकर उक्त वार्ता दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो हर दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट अकब से मुर्तिब की जावेगी। इसके पश्चात डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी का प्रार्थना-पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा जाकर उपस्थित परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध श्री मनीष मीणा की मांग अनुसार रिश्वत राशि की तुरन्त व्यवस्था नहीं होने एवं रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की व्यवस्था करने में एक-दो दिन का समय लगने से संदिग्ध श्री मनीष मीणा के विरूद्ध इस समय अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हैं। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध श्री मनीष मीणा की मांग अनुसार रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की व्यवस्था के सम्बन्ध में पुनः पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 15.02.2026 को रिश्वत राशि की व्यवस्था हेतु कस्बा राजसमन्द आउंगा और मेरे दोस्तों से मिलकर रिश्वत राशि की व्यवस्था करके समय करीब 01.00 पीएम के आस-पास एसीबी चौकी राजसमन्द उपस्थित हो जाउंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 15.02.2026 को समय करीब 01.00 पीएम के आस-पास ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित होने तथा मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक मुनासिब हिदायत की गई। तत्पश्चात समय 10.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी एवं श्रीमती तारा म0 कानि0 नम्बर 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय प्राईवेट वाहन मय चालक श्री रिडमल सिंह कानि0 नम्बर 817 के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री मुकेश मजुमदार मय ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 व श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी-प्राईवेट वाहन से मुकिम स्थल से रवाना हो कस्बा भीम पहुंच परिवादी को बाद आवश्यक हिदायत के रूखसत किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी-प्राईवेट वाहन से रवाना हो दिनांक 15.02.2026 को समय 02.00 एएम पर एसीबी चौकी राजसमन्द उपस्थित आया तथा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को बाद आवश्यक हिदायत के रूखसत किया गया एवं ब्यूरो जाब्ता को आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 01.00 पीएम पर पूर्व पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत एवं श्री सुमित त्रिवेदी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। इसके पश्चात पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने कस्बा राजसमन्द में मेरे दोस्तों से सम्पर्क करके रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की व्यवस्था हेतु काफी प्रयास किया लेकिन मुझसे अभी तक रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हो पायी हैं। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में रखी अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 14.02.2026 को परिवादी श्री मुकेश मजुमदार एवं संदिग्ध श्री मनीष मीणा बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड बदनोर-रायपुर जिला ब्यावर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं मोबाईल व्हाटस वॉईस काल वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त दोनों वार्ताओं को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओं की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में आवाज की पहचान उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मुकेश मजुमदार से कराई गई तो परिवादी ने उक्त वार्ताओं में एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री मनीष मीणा बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड बदनोर-रायपुर जिला ब्यावर की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 14.02.2026 को परिवादी श्री मुकेश मजुमदार एवं संदिग्ध श्री मनीष मीणा बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड बदनोर-रायपुर जिला ब्यावर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं मोबाईल व्हाटस वॉईस काल वार्ता जो कि उक्त वार्ताऐं कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड (Strontium NITRO 85 MB/s 16 GB Micro SD HC) बरंग काला में रिकॉर्ड किया गया था जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगा हुआ को श्री हेमराज

कानि0 नम्बर 306 से ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकॉर्डशुदा दोनों वार्ताओं को तीन अलग-अलग खाली (रिक्त) पेनड्राईव HIKVISION 32 GB (बरंग काला) में सेव/कॉपी किया जाकर रिकॉर्डशुदा वार्तालाप की तीन डब कॉपी (न्यायालय हेतु मूल पेनड्राईव-आरोपी हेतु डब पेनड्राईव-एक पेनड्राईव आईओ हेतु) तैयार की गई। मूल पेन ड्राईव की हेश वेल्यु कानि0 श्री हेमराज नम्बर 306 से निकलवाई जाकर उक्त मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क- PD अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 14.02.2026 को परिवादी श्री मुकेश मजुमदार एवं संदिग्ध श्री मनीष मीणा बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड बदनोर-रायपुर जिला ब्यावर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं मोबाईल व्हाटस वॉईस काल वार्ता जो कि ब्यूरो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दोनों वार्ताओं की हैश वैल्यू कानि0 श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 से निकलवाई जाकर उक्त मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से सुरक्षित निकालकर मूल मेमोरी कार्ड (Strontium NITRO 85 MB/s 16 GB Micro SD HC) बरंग काला को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क- M अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने गोपनीय रूप से अपने सूत्रों से पता किया हैं कि कल दिनांक 16.02.2026 को संदिग्ध श्री मनीष मीणा कस्बा ब्यावर में साकेत नगर पुलिस थाना के पास स्थित डीडीओ ऑफिस में उपस्थित मिलेगा और उनसे रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में आगे की वार्ता हो सकती हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध श्री मनीष मीणा को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था के साथ कल दिनांक 16.02.2026 को समय करीब 11.30 एएम के आस-पास ब्यावर-बर रोड (बाईपास) पर एकान्त स्थान पर उपस्थित मिलने की आवश्यक हिदायत की गई तथा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी कल दिनांक 16.02.2026 को समय 08.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया।तत्पश्चात दिनांक 16.02.2026 को पूर्व पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत एवं श्री सुमित त्रिवेदी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जिसके पश्चात समय 08.50 एएम पर श्री मनीष मीणा के विरूद्ध अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी एवं श्रीमती तारा म0 कानि0 नम्बर 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आर0जे0-27-टी0ए0-5867 मय वाहन चालक श्री दूदालाल के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 व श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय कानि0 चालक श्री रिडमल सिंह नम्बर 817 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी-अनुबंधित वाहन से रवाना हो समय 11.50 एएम पर ब्यावर-बर रोड (बाईपास) ब्यावर पहुंचे जहां पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार पूर्वपाबन्दशुदा उपस्थित मिला तथा परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी तक मैं श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब की मांग अनुसार रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर पाया हुं। मैने मेरे मोबाईल नम्बर से अभी थोडी देर पहले ही श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब के मोबाईल नम्बर पर कई बार कॉल किया था लेकिन उन्होंने मेरा कॉल अटेण्ड नहीं किया जिस पर मैने गोपनीय रूप से अपने सूत्रों से पता करवाया तो अभी तक सीडीपीओ साहब डीडीओ ऑफिस ब्यावर में नहीं आये हैं तथा आज आने की सम्भावना भी नहीं हैं और आज उनसे आगे की लेनदेन वार्ता नहीं हो पायेगी। तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं करीब 3-4 दिन पहले श्री प्रदीप जी एईन साहब पंचायत समिति रायपुर से रायपुर ब्लॉक के आंगनवाडी केन्द्रों (हाजियावास, कानपुरा व काया) के रिनोवेशन कार्य के बिल बनाने एवं एमबी (माप पुस्तिका) भरवाने हेतु मिला तो उन्होंने कहा था कि एमबी भरवानी हैं तो खर्चे-पानी के 21,000 रूपये देने पडेंगे, अगर पैसे नहीं देगा तो एमबी भरने के कार्य को लटका दूंगा। मैने गोपनीय रूप से अपने सूत्रों से पता करवाया हैं, आज श्री प्रदीप जी एईन साहब पंचायत समिति रायपुर में ही मिलेंगे और मैने अभी थोडी देर पहले मेरे मोबाईल नम्बर से श्री प्रदीप जी एईन साहब के मोबाईल नम्बर पर कॉल करके उनसे वार्ता की तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए पंचायत समिति रायपुर बुलाया हैं, जो आज रायपुर पंचायत समिति में मिल सकते हैं और उनसे रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता हो सकती हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप बॉक्स में रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (सोनी कम्पनी) एवं एक नया मेमोरी कार्ड (Strontium NITRO 85 MB/s 16 GB Micro SD HC) निकालकर, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को

डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश की गई। इसके पश्चात मुकिम स्थल पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उपस्थित ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 एवं परिवादी श्री मुकेश मजुमदार के परस्पर एक दूसरे के मोबाईल नम्बर साझा करवाये गये तथा जितेन्द्र कुमार कानि0 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देश दिये कि परिवादी श्री मुकेश मजुमदार के साथ उसके द्वारा उपलब्ध करवाई गई मोटर साईकिल से कस्बा रायपुर पहुंच परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन एवं रख रखाव की विधि की समझाईश कर सिपूर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता करवाने हेतु श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर के पास कार्यालय पंचायत समिति रायपुर में भेजे तथा स्वयं भी परिवादी के आस-पास गोपनीय रूप से मौजूद रहकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करावे तथा वार्ता के उपरांत मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल सूचित कर परिवादी के साथ कस्बा भीम के बाहर रोड के साईड में एकान्त स्थान पर उपस्थित मिलने तथा कार्यवाही की गोपनीयता की हिदायत देकर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नम्बर 262 को परिवादी द्वारा उपलब्ध करवाई गई मोटर साईकिल से परिवादी के साथ मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रायपुर के लिए रवाना किया जाकर समय 01.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी एवं श्रीमती तारा म0 कानि0 नम्बर 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आर0जे0-27-टी0ए0-5867 मय वाहन चालक श्री दूदालाल के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 व श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय कानि0 चालक श्री रिडमल सिंह नम्बर 817 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी-अनुबंधित वाहन से मुकिम स्थल से रवाना हो समय 03.00 पीएम पर कस्बा भीम के बाहर रोड के साईड में एकान्त स्थान पर पहुंचकर परिवादी एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के आने के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात समय 03.40 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मुकेश मजुमदार अपनी मोटरसाईकिल से कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार के साथ मुकिम स्थल पर उपस्थित आया और श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर हालात से अवगत कराते हुए बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैं मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकल से ब्यावर बाईपास से रवाना हो समय करीब 02.00 पीएम पर पंचायत समिति रायपुर के बाहर पहुंच, परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुनः समझाईश कर समय 02.06 पीएम पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री प्रदीप एईन पंचायत समिति रायपुर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु पंचायत समिति रायपुर के अन्दर की तरफ रवाना किया तथा मैं कानि0 पंचायत समिति रायपुर के बाहर ही अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम हुआ। तत्पश्चात करीब 10-12 मिनट बाद परिवादी मुझ कानि0 के पास आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझ कानि0 को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात मैं कानि0 परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल से पंचायत समिति रायपुर से रवाना हो इस समय श्रीमान के समक्ष उपस्थित आये हैं। तत्पश्चात परिवादी ने कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार के कथनों की ताईद करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के साथ पंचायत समिति रायपुर के अन्दर जाकर श्री प्रदीप जी एईन साहब पंचायत समिति रायपुर से रायपुर ब्लॉक के आंगनवाडी केन्द्रों (हाजियावास, कानपुरा व काया) के रिनोवेशन कार्य के बिल बनाने एवं एमबी (माप पुस्तिका) भरवाने के सम्बन्ध में उनसे वार्ता की तो उन्होंने बिल बनाने व एमबी भरने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि 21,000 रूपये की मांग की। मैने उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर आज दिनांक 16.02.2026 को परिवादी एवं संदिग्ध श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को सुना गया तो परिवादी के बताये कथनों की ताईद होकर संदिग्ध श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रायपुर द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी रिश्वत राशि सत्यापन की पुष्टि की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में आज दिनांक 16.02.2026 को परिवादी श्री मुकेश मजुमदार एवं संदिग्ध श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में आवाज की पहचान उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मुकेश मजुमदार से कराई गई तो परिवादी ने उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं

की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं अपने निजि कार्य से राज्य से बाहर जा रहा हुं, मैं जेसे ही वापस आउंगा तो आपसे सम्पर्क करके आगे की कार्यवाही करवाता हुं। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मुकेश मजुमदार को संदिग्धगण श्री मनीष मीणा सीडीपीओ एवं श्री प्रदीप एईन द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में सम्पर्क किये जाने एवं निजी कार्य पूर्ण होने के पश्चात तुरन्त रिश्वत राशि की व्यवस्था कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने की आवश्यक हिदायत कर मुकिम स्थल से रूखसत किया गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी एवं श्रीमती तारा म0 कानि0 नम्बर 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आर0जे0-27-टी0ए0-5867 मय वाहन चालक श्री दूदालाल के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 व श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय कानि0 चालक श्री रिडमल सिंह नम्बर 817 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी-अनुबंधित वाहन से रवाना हो समय 06.00 पीएम पर हाजिर एसीबी चौकी राजसमन्द आया और अनुबंधित वाहन मय चालक श्री दूदालाल को एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने एवं ब्यूरो द्वारा अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु सम्पर्क किये जाने पर तुरन्त ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 12.03.2026 को समय 08.16 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ने अपने मोबाईल नम्बर 6350637163 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 7878721582 पर कॉल कर बताया कि मैंने श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब की मांग अनुसार रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये में से केवल रिश्वत राशि 15,000 रूपये की ही व्यवस्था कर पाया हुं मुझसे इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं हो पा रही हैं। मैं शेष 1,65,000 रूपये के डमी नोटों की व्यवस्था कर दुंगा। मैने अपने मिलने वालों से पता करवाया हैं कि कल दिनांक 13.03.2026 को 2.00 पीएम के बाद श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब ब्यावर में साकेत नगर थाने के पास स्थित डीडीओ ऑफिस मिल जायेंगे और उनसे अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता हो सकती हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अपनी व्यवस्थानुसार रिश्वत राशि की व्यवस्था के साथ कल दिनांक 13.03.2026 को समय 02.30 पीएम के आस-पास ब्यावर-बर रोड (बाईपास) ब्यावर के पास किसी एकान्त स्थान मिलने की आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन मय चालक को कल दिनांक 13.03.2026 को समय 11.50 एएम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 13.03.2026 को पूर्व पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत एवं श्री सुमित त्रिवेदी एवं पूर्वपाबन्दशुदा भूमि विकास राजसमन्द से अनुबंधित वाहन संख्या आरजे 27 टीए 6511 मय चालक श्री सुनील वैष्णव के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर श्री मनीष मीणा के विरूद्ध अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी एवं श्रीमती तारा म0 कानि0 नम्बर 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आरजे 27 टीए 6511 मय चालक श्री सुनील वैष्णव के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय कानि0 चालक श्री रिडमल सिंह नम्बर 817 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी-अनुबंधित वाहन से रवाना हो समय 02.50 पीएम पर ब्यावर-बर रोड (बाईपास) ब्यावर पहुंचे जहां पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार पूर्वपाबन्दशुदा उपस्थित मिला तथा परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी तक मैं श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब की मांग अनुसार रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर पाया हुं। मुझसे केवल 15,000 रूपयों की ही व्यवस्था हो पायी हैं तथा शेष 1,65,000 रूपयों की मैने डमी नोटों की व्यवस्था की हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं। परिवादी ने बताया कि मैने मेरे मोबाईल नम्बर 6350637163 एवं 7300421233 से श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब के मोबाईल नम्बर 9056789740 व 8949011788 पर कई बार कॉल करके उनसे सम्पर्क करने की कोशिश की हैं लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए वो मुझसे सम्पर्क कर रहे हैं। मैं जब भी श्री मनीष मीणा के मोबाईल पर सम्पर्क करने हेतु उसे कॉल करता हुं तो उसका फोन बीजी बताता हैं, मुझे लगता हैं उसने मेरे मोबाईल नम्बर को ब्लेक लिस्टेड कर दिया हैं। मुझे लगता हैं कि श्री मनीष मीणा

सीडीपीओ साहब को उसके विरूद्ध की जा रही एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई हैं और श्री मनीष मीणा सीडीपीओ साहब अब मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा। परिवादी के बताये अनुसार श्री मनीष मीणा सीडीपीओ रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए परिवादी से कोई सम्पर्क नहीं कर रहा हैं और परिवादी के मोबाईल फोन को ब्लेक लिस्टेड भी कर दिया हैं, श्री मनीष मीणा को सम्भवतः उसके विरूद्ध की जा रही एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई हैं और श्री मनीष मीणा अब परिवादी से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा। ऐसी स्थिति में श्री मनीष मीणा सीडीपीओ के विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हैं। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता कार्यालय पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किये जाने पर उसकी मांग अनुसार रिश्वत राशि 21,000 रूपये की व्यवस्था कर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने बाबत् आवश्यक हिदायत कर परिवादी को मुकिम स्थल से रूखसत किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी एवं श्रीमती तारा म0 कानि0 नम्बर 259 मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आरजे 27 टीए 6511 मय चालक श्री सुनील वैष्णव के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय कानि0 चालक श्री रिडमल सिंह नम्बर 817 के अपने-अपने सरकारी-अनुबंधित वाहन से समय 03.50 पीएम पर ब्यावर-बर रोड (बाईपास) ब्यावर से एसीबी चौकी राजसमन्द के लिए रवाना हो समय 06.10 पीएम पर एसीबी चौकी राजसमन्द उपस्थित आया और दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं भूमि विकास बैंक राजसमन्द के वाहन चालक को ब्यूरो द्वारा अग्रिम सम्भावित कार्यवाही हेतु तलब किये जाने पर तुरन्त ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने बाबत् आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 16.03.2026 को समय 09.39 ए0एम0 पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया परन्तु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कॉल अटेण्ड नहीं किये जाने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समय 10.15 एएम पर पुनः परिवादी को कॉल कर उससे वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि श्री प्रदीप जी एईन साहब ने मुझसे मिलने के लिए वाया मिडिया मैसेज करवाया हैं जो आज दिनांक 16.03.2026 को पंचायत समिति रायपुर में मिल सकते हैं जिनसे अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता हो सकती हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 21,000 रूपये की व्यवस्था के साथ पूर्वानुसार ब्यावर-बर रोड (बाईपास) ब्यावर के पास एकान्त स्थान पर मिलने की आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं भूमि विकास बैंक के वाहन मय चालक को अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया गया। तत्पश्चात पूर्व पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत एवं श्री सुमित त्रिवेदी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये तथा पूर्वपाबन्दशुदा भूमि विकास राजसमन्द से अनुबंधित वाहन संख्या आरजे 27 टीए 6511 को लेकर वाहन चालक श्री मदनलाल ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया और भूमि विकास बैंक के उक्त वाहन को कार्यालय के अहाते में खडा करवाकर चालक श्री मदनलाल को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 11.20 एएम पर श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता के विरूद्ध अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी एवं श्रीमती तारा म0 कानि0 नम्बर 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आरजे 27 टीए 6511 के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 व श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय कानि0 चालक श्री रिडमल सिंह नम्बर 817 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी-अनुबंधित वाहन से रवाना हो समय 01.00 पीएम पर ब्यावर-बर रोड (बाईपास) ब्यावर पहुंचे जहां पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार पूर्वपाबन्दशुदा उपस्थित मिला। परिवादी ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने श्री प्रदीप जी एईन साहब पंचायत समिति रायपुर की मांग अनुसार रिश्वत राशि 21,000 रूपये में से रिश्वत राशि 15,000 रूपयों की ही व्यवस्था कर पाया हुं जो अभी मेरे पास रखे हुए हैं। तत्पश्चात समय 01.10 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेश मजुमदार पुत्र श्री प्रबीर मजुमदार उम्र 25 साल, निवासी ग्राम समबुरीया, पोस्ट कालादेह, पुलिस थाना व तहसील भीम, जिला राजसमन्द को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ने अपने पास से व्यवस्थानुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट राशि 15,000-रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट जिनके नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त भारतीय चलन मुद्रा

के 500-500 रूपये के उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु हमरा साथ श्रीमती तारा महिला कानि0 नं. 259 के पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी में से सरकारी वाहन बोलेरो नं. आरजे 14 यू.जे. 1746 की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 द्वारा उक्त समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट के सामने की दायी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अभिमन्यु उदावत से लिवाई गई तो परिवादी के पहनी जिन्स पेन्ट की सामने की दायीं जेब में कोई वस्तु शेष नहीं छोडते हुए, फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाए हुए भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोटों कुल 15,000 रूपयों को श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से परिवादी श्री मुकेश मजुमदार के पहनी जिन्स पेन्ट की सामने की दायी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से सरकारी वाहन बोलेरो में रखे हुए पानी के केम्पर में से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से पास ही स्थित गन्दे पानी के नाले में फिकवाया जाकर प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास एवं अखबार को जला कर नष्ट किया गया। परिवादी श्री मुकेश मजुमदार को यह हिदायत भी दी गई कि वह, आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे तथा रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करे तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते का आपस में पुनः परिचय करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियां, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये एवं नये प्लास्टिक के पारदर्षी डिस्पोजल गिलासों को भी ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुनः समझाईस कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड के परिवादी को सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। तथा श्रीमती तारा म0कानि0 नं. 259 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि अपने पास सुरक्षित अवस्था में रखने बाबत् आवश्यक हिदायत कर एसीबी कार्यालय राजसमन्द पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। फर्द पेशकशी नोट व सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सिपूर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जुदागाना तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने अपने मिलने वालों से पता करवाया तो ज्ञात हुआ कि संदिग्ध श्री प्रदीप जी एईन साहब अभी राजकीय कार्य हेतु कहीं फील्ड में गये हुए हैं जो अभी पंचायत समिति रायपुर में उपस्थित नहीं मिलेंगे जो थोडी देर बाद ही पंचायत समिति रायपुर में उपस्थित आयेंगे जिसकी सूचना तुरन्त मुझे मिल जायेगी। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के मुकिम स्थल पर ही इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात परिवादी ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया हैं, मैं संदिग्ध श्री प्रदीप जी एईन साहब को कॉल करके उसकी लॉकेशन के बारे में पता करता हुं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही समय 03.10 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवा परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर उक्त वार्ता को परिवादी के पास रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाया गया। उक्त वार्ता में श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता द्वारा ऑफिस में ही होना बताया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पुनः परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी श्री प्रदीप जी एईन साहब पंचायत समिति रायपुर ऑफिस में आ गये हैं जो वहीं पर ही मिलेंगे जिनसे अग्रिम रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता हो सकती हैं। तत्पश्चात समय 03.20 पीएम पर श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता के विरूद्व अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द

नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी मय अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आरजे 27 टीए 6511 के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री मुकेश मजुमदार मय ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 व श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय कानि0 चालक श्री रिडमल सिंह नम्बर 817 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी-अनुबंधित वाहन से मुकिम स्थल ब्यावर-बर रोड (बाईपास) ब्यावर से रवाना हो पंचायत समिति रायपुर के पास पहुंचे जहां पर समय करीब 04.20 पीएम पर परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवा संदिग्ध श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता से अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता करने हेतु पंचायत समिति रायपुर के अन्दर की तरफ रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पंचायत समिति रायपुर के बाहर ही अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात करीब 10 मिनट बाद परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं पंचायत समिति रायपुर के अन्दर गया और कार्यालय में जाकर श्री प्रदीप जी एईन साहब के बारे में पूछा तो ज्ञात हुआ कि श्री प्रदीप जी एईन साहब राजकार्य हेतु कहीं फील्ड में गये हुए हैं जो थोडी देर बाद ही आयेंगे। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री प्रदीप जी एईन साहब जब भी कभी फील्ड में जाते हैं तो वो शाम को 6-7 बजे के बाद ही आते हैं जो आने के बाद अपने क्वाटर पर ही मिलेंगे। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पंचायत समिति रायपुर के आस-पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए संदिग्ध के आने के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी श्री प्रदीप जी एईन साहब अपने क्वाटर पर आ गये होंगे जो इस समय उनके क्वाटर पर मिल जायेंगे और उनसे अग्रिम रिश्वत लेनदेन सम्बन्धी वार्ता हो सकती हैं। श्री प्रदीप जी एईन साहब का क्वाटर पंचायत समिति रायपुर परिसर में पीछे की तरफ बना हुआ हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समय 07.54 पीएम पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता से अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता करने हेतु श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता के क्वाटर की तरफ रवाना करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के श्री प्रदीप सहायक अभियन्ता के क्वाटर के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात समय 08.05 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर आरोपी के सरकारी क्वाटर के बाहर आकर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु उदावत व श्री सुमित त्रिवेदी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117, श्री हेमराज कानि0 नं0 306, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री किशनाराम कानि. नं. 404 श्री भंवरदान कानि. नं. 414 एवं श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233 के तेज-तेज कदमों से चलकर आरोपी के सरकारी क्वाटर के बाहर पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार उपस्थित मिला जिसके पास एक व्यक्ति था जो सरकारी क्वाटर के लॉक लगा रहा था। परिवादी ने अपने पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया। जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी श्री मुकेश मजुमदार ने अपने पास खडे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही प्रदीप जी एईएन साहब है, जिसने मुझसे अभी-अभी 15000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ से ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी जीन्स पेन्ट बरंग ब्ल्यू के पीछे की साईड की दाहिनी जेब में रखे है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी का एक हाथ श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117 एवं दूसरा हाथ श्री किशनाराम कानि0 नं0 404 से कलाई से उपर पकडवाया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का तथा हमराहियान ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम प्रदीप कुमार सहायक अभियंता कार्यालय पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर अतिरिक्त चार्ज कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड रायपुर जिला ब्यावर होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी को परिवादी श्री मुकेश मजुमदार से 15000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो श्री प्रदीप कुमार ने बताया कि मैंने श्री मुकेश मजुमदार से कोई रिश्वत राशि नहीं मांगी, श्री मुकेश मजुमदार ने ही मुझे रिश्वत राशि दी है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी से पुछा कि क्या आपके द्वारा श्री मुकेश मजुमदार की फर्म विनायक एन्टरप्राईजेज के द्वारा किए गए कार्यो का माप पुस्तिका में इंद्राज किया गया है जिस पर आरोपी श्री प्रदीप कुमार ने कहा कि मैंने अभी तक माप पुस्तिका में इंद्राज नहीं किया है, आज रात को माप पुस्तिका में इंद्राज करूंगा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त रिश्वत राशि 15000 रूपये में से अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी का हिस्सा होने बाबत पुछा तो आरोपी श्री प्रदीप कुमार ने अन्य किसी का हिस्सा होने से इंकार कर दिया। परिवादी ने स्वतः ही बताया कि श्री प्रदीप कुमार एईएन साहब ने मेरे 5 आंगनवाड़ी केन्द्रो में रिपेयरिंग व मेन्टेनेन्स के कार्यो के बिल बनाये उसके लिए एवं उक्त कार्यो के नाप का माप पुस्तिका में इंद्राजात करने के लिए दिनांक 16.02.2026 को मुझसे रिश्वत राशि 21000 रूपये की मांग की गई थी तथा

मांग अनुसार मेरे से अभी-अभी 15000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर एईएन साहब ने अपने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुयी जीन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री प्रदीप कुमार से पुछा तो बताया कि मैंने रिश्वत राशि 15000 रूपये मेरी जीन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रखे है। जो अभी भी मेरी उक्त जेब में पडे है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी से सरकारी क्वाटर की चाबी के बारे में पुछा तो आरोपी ने चाबी अपनी पहनी हुयी जीन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में होना बताया जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री अभिमन्यु उदावत से उक्त चाबी निकलवाकर क्वाटर का लॉक खुलवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय आरोपी को यथास्थितिनुसार क्वाटर के अन्दर प्रवेश कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता होना पाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रदीप कुमार के हाथो की धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 से गाडी में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवा कर श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में सरकारी वाहन बोलेरो में रखी हुयी पानी की बोटल से अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रदीप कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण मटमैला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमैला रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रदीप कुमार के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग मटमैला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री प्रदीप कुमार को रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने स्वयं की पहनी हुई ब्ल्यू रंग की जीन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट निकाले। जिसे श्री सुमित त्रिवेदी स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान होना पाये गये- क्र सं नोट नम्बर 1. 500 रूपये का एक नोट 4LT 315603, 2. 500 रूपये का एक नोट 3QV 618852, 3. 500 रूपये का एक नोट 8PF 070808, 4. 500 रूपये का एक नोट 0SU 534334, 5. 500 रूपये का एक नोट 0NA 524361, 6. 500 रूपये का एक नोट 1PV 872372, 7. 500 रूपये का एक नोट 6TM 751472, 8. 500 रूपये का एक नोट 1GK 865490, 9. 500 रूपये का एक नोट 7UQ 405107, 10. 500 रूपये का एक नोट 6AM 302436, 11. 500 रूपये का एक नोट 9AD 388209, 12. 500 रूपये का एक नोट 0KL 731016, 13. 500 रूपये का एक नोट 9RD 468582, 14. 500 रूपये का एक नोट 9KU 929968, 15. 500 रूपये का एक नोट 6AB 485224, 16. 500 रूपये का एक नोट 3HR 752601, 17. 500 रूपये का एक नोट 0BT 690006, 18. 500 रूपये का एक नोट 0CA 944810, 19. 500 रूपये का एक नोट 7QG 514715, 20. 500 रूपये का एक नोट 9FR 493409, 21. 500 रूपये का एक नोट 5FG 661504, 22. 500 रूपये का एक नोट 2BD 358306, 23. 500 रूपये का एक नोट 2FQ 292136, 24. 500 रूपये का एक नोट 5LQ 988306, 25. 500 रूपये का एक नोट 5ED 586125, 26. 500 रूपये का एक नोट 7HG 799364, 27. 500 रूपये का एक नोट 4WH 909237, 28. 500 रूपये का एक नोट 2BU 056089, 29. 500 रूपये का एक नोट 4VT 149360, 30. 500 रूपये का एक नोट 5NK 661617 उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रदीप कुमार की पहनी हुई जीन्स पेन्ट बरंग ब्ल्यू के पीछे की साईड की दाहिनी जेब जहां से 15,000 रूपये बरामद होने से श्री प्रदीप कुमार की पहनी हुई जीन्स पेन्ट को ससम्मान खुलवाकर उक्त सरकारी क्वाटर से दूसरी पेन्ट पहनायी जाकर उक्त जीन्स पेन्ट बरंग ब्ल्यू के पीछे की दाहिनी साईड की जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त गिलास में रखे रंगहीन घोल में उक्त जीन्स पेन्ट बरंग ब्ल्यू के पीछे की दाहिनी साईड की जेब उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण मटमैला हो गया। उक्त घोल को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरवाकर सीलचिट कर धौवण की शिशियों को मार्क क्रमश P-1 व P-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त जीन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब को धोकर, सुखा कर, उक्त जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा, उक्त जीन्स पेंट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। तथा आरोपी श्री प्रदीप कुमार की जामा तलाशी में कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुयी ओर ना ही कब्जे ब्यूरो ली गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रदीप कुमार के सरकारी क्वाटर संख्या 08 की खाना तलाशी

नियमानुसार ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दौराने खाना तलाशी आरोपी के सरकारी क्वाटर पर मिली अवैध राशि 5,23,000 रूपये के सम्बन्ध में आरोपी द्वारा सन्तोषप्रद जवाब नहीं देने पर उक्त राशि को अवैध मानते हुए कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में पुलिस थाना रायपुर पहुंच दिनांक 16.03.2026 को परिवादी श्री मुकेश मजुमदार एवं आरोपी श्री प्रदीप कुमार के मध्य हुई रिश्वत राशि लेनदेन मोबाईल-रूबरू वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से मूर्तिब की जाकर फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गयी। इस प्रकार आरोपी श्री प्रदीप कुमार सहायक अभियंता कार्यालय पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर अतिरिक्त चार्ज कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड रायपुर के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री प्रदीप कुमार को दिनांक 17.03.26 को समय 12.05 ए.एम. पर नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि बरामदगी एवं खाना तलाशी की वीडियोग्राफी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड में अलग-अलग रिकॉर्ड की गई। आरोपी श्री प्रदीप कुमार की रिश्वत राशि बरामदगी का मूल मेमोरी कार्ड से मूल पेनड्राईव तैयार कर पेनड्राईव व मेमोरी कार्ड की हेश वैल्यू निकलवाई गई तथा खाना तलाशी का मूल मेमोरी कार्ड से मूल पेनड्राईव तैयार कर पेनड्राईव व मेमोरी कार्ड की हेश वैल्यू निकलवाई गई। दिनांक 16.02.2026 को परिवादी श्री मुकेश मजुमदार एवं आरोपी श्री प्रदीप कुमार के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 16.03.2026 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेनदेन मोबाईल-रूबरू वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से मूल पेनड्राईव तैयार कर पेनड्राईव व मेमोरी कार्ड की हेश वैल्यू निकलवाई गई तथा उक्त पेनड्राईव एवं मूल मेमोरी कार्ड को वजह सबूत अलग-अलग जरिये फर्द जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार अलग-अलग सील्डचिट किया जाकर मार्क अंकित किये जाकर अलग-अलग फर्द जब्ती मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के नमूना सील पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्षा मौका घटनास्थल मौके पर मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा आरोपी का राजकीय उप जिला चिकित्सालय रायपुर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, रायपुर (ब्यावर) के पत्र क्रमांक 1030 दिनांक 17.03.26 से परिवादी की फर्म विनायक एन्टर प्राईजेज के नाम पर कार्य आदेश एवं इससे संबंधित दस्तावेजात प्राप्त हुये जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 14.02.2026 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में श्री मनीष मीणा बाल विकास परियोजना अधिकारी बदनौर अतिरिक्त चार्ज कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड रायपुर द्वारा परिवादी श्री मुकेश मजुमदार के बदनोर ब्लॉक की 06 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य हेतु भूगतान किये गये बिलों की एवज में 1,00,000 रूपये एवं रायपुर ब्लॉक की 03 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य के पेण्डिग बिल पास करने की एवज में 80,000 रूपये सहित कुल 1,80,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। तत्पश्चात श्री मनीष मीणा की मांग के अनुशरण में दिनांक 16.02.2026 एवं दिनांक 13.03.2026 को उसके विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रयास किया गया। परन्तु परिवादी श्री मुकेश मजुमदार का आरोपी श्री मनीष मीणा से सम्पर्क नहीं होने एवं आरोपी श्री मनीष मीणा द्वारा परिवादी के मोबाईल फोन को ब्लेक लिस्टेड करने तथा श्री मनीष मीणा को सम्भवतः उसके विरूद्ध की जा रही एसीबी की कार्यवाही की भनक लगने से आरोपी श्री मनीष मीणा सीडीपीओ के विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। परिवादी एवं आरोपी श्री मनिष मीणा के मध्य दिनांक 14.02.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के अवलोकन से आरोपी श्री मनिष मीणा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 1,80,000 रूपये की मांग करना पाया गया।उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियां से पाया गया कि आरोपी श्री प्रदीप कुमार सहायक अभियंता कार्यालय पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर अतिरिक्त चार्ज कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड रायपुर जिला ब्यावर द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मुकेश मजुमदार के 5 आंगनवाडी केन्द्रो में रिपेयरिंग व मेन्टेनेन्स के कार्यो के बिल बनाने के लिए एवं उक्त कार्यो के माप का माप पुस्तिका में इंद्राजात करने की एवज में दिनांक 16.02.2026 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी से रिश्वत राशि 21000 रूपये की मांग करना तथा मांग के अनुसरण में दिनांक 16.03.2026 को रिश्वत राशि 15,000- रूपये वक्त लेन-देन आरोपी श्री प्रदीप कुमार द्वारा परिवादी श्री मुकेश मजुमदार से प्राप्त कर उक्त रिश्वत राशि 15,000- रूपये अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रखना, आरोपी की पहनी हुई उक्त जीन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब से रिश्वत राशि 15,000- रूपये बरामद होना तथा आरोपी श्री प्रदीप कुमार द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों एवं आरोपी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब के धोवण का रंग मटमैला होना पाया जाने से तथा आरोपी श्री मनीष मीणा सीडीपीओ द्वारा परिवादी के बदनोर ब्लॉक की 06 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य हेतु भूगतान किये गये बिलों की एवज में 1,00,000 रूपये एवं रायपुर ब्लॉक की 03 आंगनवाडी केन्द्रों के रिनोवेशन कार्य के

पेण्डिग बिल पास करने की एवज में 80,000 रूपये सहित कुल 1,80,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, आरोपीगण श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री चन्द्रबली उम्र 49 वर्ष निवासी मकान नं0 2/809 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी जिला जोधपुर हाल सहायक अभियंता कार्यालय पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर अतिरिक्त चार्ज कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड रायपुर जिला ब्यावर एवं श्री मनीष मीणा पुत्र श्री बनवारी लाल मीणा उम्र 37 वर्श निवासी देवन तिराहा वार्ड नं0 29 शाहपुरा जयपुर हाल बाल विकास परियोजना अधिकारी बदनौर अतिरिक्त चार्ज कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड रायपुर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपीगण श्री प्रदीप कुमार सहायक अभियंता एवं श्री मनीष मीणा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1- श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री चन्द्रबली, उम्र 49 वर्ष, निवासी मकान नं0 2/809 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर हाल सहायक अभियंता, कार्यालय पंचायत समिति रायपुर, जिला ब्यावर अतिरिक्त चार्ज कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड रायपुर, जिला ब्यावर एवं 2- श्री मनीष मीणा पुत्र श्री बनवारी लाल मीणा, उम्र 36 वर्ष, जाति मीणा, निवासी देवन तिराहा, वार्ड नम्बर 29, शाहपुरा जयपुर राज0 हाल बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्ड बदनोर अतिरिक्त चार्ज रायपुर जिला ब्यावर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारस मल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 715 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 501-05 दिनांक 18.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- निदेशालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** parasmal panwar **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/03/2026 18:04:32

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				
2	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)